



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226341
CG-DL-E-01042021-226341

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2021/चैत्र 11, 1943

No. 137]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2021/CHAITRA 11, 1943

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

फा. सं. मानक/03/अधिसूचना (आईएफआर)/एफएसएसएआई-2017.—भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्यांक फाईल संख्या मानक/03/अधिसूचना (आईएफआर)/एफएसएसएआई-2017 तारीख 4 दिसम्बर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2020 प्रकाशित किये गए थे उक्त अधिसूचना में-

1. पृष्ठ 11, वैकल्पिक संघटक/पौषक तत्व से सम्बंधित खंड (ड) की सारिणी के क्रम संख्या 6 में स्तंभ 4 में "53.20 - 14.90" के स्थान पर "53.20 - 148.90" पढ़ा जाएगा;
2. पृष्ठ 19, अनुवर्ती फार्मूला की अपेक्षाओं से सम्बंधित खंड (ज) की सारिणी के क्रम संख्या 16 में स्तंभ 2 में "कोलीन, मिग्रा अधिकतम" के स्थान पर "कोलीन, मिग्रा न्यूनतम" पढ़ा जाएगा;
3. पृष्ठ 24, सारिणी के क्रम संख्या 21 में स्तंभ 2 में "क्रोमियम, μ ग्राम" के स्थान पर "क्रोमियम, एन ग्राम" पढ़ा जाएगा;
4. पृष्ठ 24, सारिणी के क्रम संख्या 33 में स्तंभ 3 में "-" के स्थान पर "100-350" पढ़ा जाएगा;
5. पृष्ठ 24, सारिणी के क्रम संख्या 35 में स्तंभ 2 में "विटामिन के, मिलीग्राम" के स्थान पर "विटामिन के, माइक्रोग्राम" पढ़ा जाएगा;
6. पृष्ठ 33, सारिणी के क्रम संख्या 4 (4) में स्तंभ 2 में "डी-अल्फा-टोकोफेरील एसिटेट" के स्थान पर "डीएल-अल्फा-टोकोफेरील एसिटेट" पढ़ा जाएगा।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./01/2021-22]

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)**CORRIGENDA**

New Delhi, the 31st March, 2021

F. No. Stds/03/Notification (IFR)/ FSSAI-2017.-In the notification of Food Safety and Standards Authority of India, published the Food Safety and Standards (Foods for Infant Nutrition) Regulations, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F. No. Stds/03/Notification (IFR)/ FSSAI-2017, dated the 4th December, 2020,-

1. Page 47, in clause (e) related to “Optional Ingredient or Nutrient” in the table, in serial no. 6 in column 4, *for* “53.20 - 14.90” *read* “53.20 - 148.90”;
2. Page 54, in the table, in serial no. 16 in column 2, *for* “Choline, mg, Max” *read* “Choline, mg, Min”;
3. Page 57, in the table, in serial no. 21 in column 2, *for* “Chromium, µg” *read* “Chromium, ng”;
4. Page 58, in the table, in serial no. 33 in column 3, *for* “-” *read* “100-350”;
5. Page 58, in the table, in serial no. 35 in column 2, *for* “Vitamin K, mg” *read* “Vitamin K, mcg”;
6. Page 64, in the table, in serial no. 4(4) in column 2, *for* “D-alpha-Tocopheryl acetate” *read* “DL-alpha-Tocopheryl acetate”.

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./01/2021-22]